

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र० ६- तिनिधा- १२/२०२० १५३८ खाद्य, पटना/दिनांक ०७-०४-२०२०
प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए खाद्यान्न का नियमित आवंटन के साथ अतिरिक्त आवंटित चावल का ससमय उठाव एवं वितरण सफलतापूर्वक पारदर्शी ढंग से कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1529 दिनांक 03.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैशिक महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन में पूर्वीकंतप्राप्त गृहरथी एवं अन्त्योदय परिवार/परिवार के सभी सदस्यों को विषयांकित खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण पारदर्शी ढंग से कराने हेतु प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निदेश दिया गया है। लॉकडाउन होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को प्रत्येक माह निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक प्रत्येक लाभुकों/राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह 05 किलोग्राम मुफ्त चावल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार मुफ्त जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम तथा जन वितरण प्रणाली के दुकान में खाद्यान्न की समिति भंडारण व्यवस्था को देखते हुए खाद्यान्न का वितरण अविलंब किया जाय। जन वितरण प्रणाली की दुकान से अविलम्ब खाद्यान्न का वितरण हेतु योजनाबद्ध ढंग से तिथिवार एवं समय के अनुसार उपभोक्ताओं को टोकन दिया जाय। इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में 30 जून 2020 तक प्रत्येक दिन वितरण प्रणाली की दुकान को प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक खुला रखकर PoS मशीन द्वारा Biometric Authentication के माध्यम से निम्नवत समय में खाद्यान्न का वितरण कराया जाय।

क्र०	समय	सभी श्रेणी (PHH+AAY) के राशन कार्डधारी
1	7.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक	सभी श्रेणी के Old age group के राशन कार्डधारी
2	10.00 बजे प्रातः से 2.00 बजे अपराह्न तक	सभी श्रेणी के राशन कार्डधारी
3	2.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक	सभी श्रेणी के महिला राशन कार्डधारी

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (Social Distancing) के साथ Proper hygiene and Sanitation बनाये रखते हुए राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाय। कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय “क्या करें” और “क्या नहीं करें” (संलग्न) का भी फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आदि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- प्र० ६- तिनिधा- १२/२०२० १५३८ खाद्य, पटना/दिनांक ०७-०४-२०२०

प्रतिलिपि:- अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

क्या करें।

- (i) स्वयं को स्वच्छ रखें तथा भौतिक दूरी को बनाये रखें।
- (ii) हाथ धोने का आदत बनावें। हाथ को सावुन और पानी से धोवे अथवा अल्कोहल से हाथ को रगड़े। हाथ साफ दिखने के बावजूद भी धोवें।
- (iii) छींकने अथवा खाँसी के समय नाक और मुँह को रुग्माल/टीशू से ढंके।
- (iv) इस्तेमाल किये गये टिशू मास्क आदि को सुरक्षित ढंग से कचरे के बंद डिब्बे में रखें।
- (v) दूसरे से बातचीत के क्रम में सुरक्षित दूरी बनाये रखे, विशेषकर वैसे व्यक्ति से जिन्हें फलू के समान लक्षण हों।
- (vi) कोहनी के भीतर छींके। हाथ के बीच में कभी न छींके।
- (vii) शरीर के तापमान को बराबर देखें तथा श्वसन लक्षण को जाँच करते रहें।
- (viii) बुखार, साँस लेने में तकलीफ तथा खाँसी रहने पर डॉक्टर को दिखावें। जब डॉक्टर को दिखावें उस समय मुँह और नाक को मास्क/कपड़ा से ढंक लें।
- (ix) किसी भी प्रकार के बुखार/फलू के समय लक्षण हो तो राज्य के हेल्पलाईन नं० 104 पर सम्पर्क करें।

क्या नहीं करें।

- (i) हाथ मिलाना।
- (ii) किसी वैसे व्यक्ति जिसे खाँसी और बुखार है, के नजदीक सम्पर्क बनाना।
- (iii) आँख, नाक और मूँह को छूना।
- (iv) दोनों हाथ के बीच खाँसना अथवा छींकना।
- (v) सार्वजनिक स्थान पर थूकना।
- (vi) अनावश्यक यात्रा करना, विशेषकर संक्रमणित क्षेत्र में।
- (vii) विशाल समूह में भाग लेना/कैंटीन में समूह में बैठना।
- (viii) जीम, क्लब और भीड़-भाड़ वाले स्थान पर घूमना।
- (ix) अफवाह/आतंक फैलाना।